

राशनकार्ड, मूल निवास आधारकार्ड में सुरेशचंद्र
जिं लालचंद्र दर्ज हैं। जार्जी द्वारा शपथ-पत्र में
भी सुरेशचंद्र व सुजातचंद्र नाम का एक ही व्यक्ति
कतामा है। सहयोगकार्ड की सहायि होने पर
जार्जी का नाम डूकाल करना उचित है। कतः
दुरुस्त निमा जाता है तो राजहित प्रभावित
नही होने से राज सरकार के कोई आपत्ति नहीं है।

हमने हमसुर्त पता वाली का मालीगाने
के धपपत्र किया। जिसके अनुसार राजपत्र रेकॉर्ड
में जार्जी का नाम सुजातचंद्र जिं लाला दर्ज है
जिसे दाताकेपी साहो एक सहयोगकार्ड की
सहायि के आधार पर जार्जी सुरेशचंद्र जिं
लालचंद्र डूकाल करना चाह रहा है। कतः
जार्जी हाम प्रस्तुत जार्जीना पत्र, शपथ-पत्र
परिवार राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आधार
कार्ड, तहलीकदप कावेर हाम प्रस्तुत जवाब ज-
पत्र एक सहयोगकार्ड की कारे ले प्रस्तुत
सहायि पत्र के आधार पर जार्जी हाम प्रस्तुत
जार्जीना-पत्र म-रहित जारा 136 P.U. Act
स्वीकार किया जाता है। तहलीकदप कावेर
मोप्या मीठड़ी तहलीकदप कावेर के जलपानव
523, 524, 525 कुल रकबा 6.12 हेक्टर ऊरानी
ले लालचंद्र राजपत्र रेकॉर्ड में सुजातचंद्र जिं
लाला के स्थान पर सुरेशचंद्र जिं लालचंद्र
दुरुस्त करे। पता वाली कैसल सुमार लेकर
नम्बर ले कम है।